International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 883-886

भारतीय राजनीति में महिला सहभागिता एवं राजनीतिक चेतना (राजस्थान की राजनीति के सन्दर्भ में: एक विश्लेषण)

डॉ. पपली राम
एसिसटेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, सनराईज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत।

सारांश
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली शासन का श्रेष्ठतम रूप है। इसका सार जनता की सहभागिता एवं नियन्त्रण में निहित है। यह महिला एवं पुरूष दोनो को उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के पश्चात् भारतीय समाज में बदलाव आया और महिला शिक्षा पर भी बल दिया गया। सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याणकारी नीतियों के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान तक की योजनाओं में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊॅचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अलग से आर्थिक सहायता का प्रावधान भी किया गया। 20 वीं सदी में राष्ट्रीय महिला परिषद तथा अखिल भारतीय महिला संघ जैसी अनेक संस्थाओं का जन्म हुआ। 1926 तक सभी प्रान्तों में महिलाओं को सीमित मताधिकार और प्रान्तीय विधानसभा में चुनाव लडनें का अधिकार मिल गया। इससे महिलाओं में राजनीतिक जग्रति आई और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को बल मिला। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम श्रीमती इन्द्रा गॉधी का प्रधानमंत्री बनना, महिलाओं की सबसे बडी उपलब्धि रही। महिलाओं की राजनीति में सहभागिता बढाने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक भी लाया गया, लेकिन अभी तक वह पारित नही हो सका। इसके बावजूद भी प्रथम लोकसभा से 14 वी लोकसभा तक में महिलाओं ने अपनी सहभागिता दी है। राजस्थान विधानसभा में भी महिलाओं की सहभागिता एवं राजनीतिक चेतना के रूप में 1952 से 2013 के बीच हुए चुनावों में कुल 177 सीटों पर महिलाओं ने विजय प्राप्त की। जो की कुल सदस्य संख्या का 8.85 प्रतिशत है यह महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं राजनीतिक चेतना को दर्शाता है।

मूल शब्द : राजनीति, लोकतांत्रिक, स्वतंत्रता, महिला, पुरूष, संसद, लोकसभा, विधानसभा, संवैधानिक, योजनाएं, राजनीतिक दल, सहभागिता, राजनीतिक चेतना।

प्रस्तावना
आज विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विघमान है। यह प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली महिला एवं पुरूष दोनों को उन्नति तथा उत्थान के समान अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु अनेक राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। आज विकसीत एवं विकासशील सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास हर स्थान और स्तर पर किये जा रहे है। परिणामस्वरूप आज सभी स्थान एवं क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसीत हो रहा हैं। महिलाओं को प्रशासन एवं राजनीति में समानाधिकार प्रदान करने में अंग्रेणी प्रयास करने वाले देश सयुंक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, फिनलैण्ड जैसे देशों में साथ ही आज रूस जैसे साम्यवादी देश, ईरान जैसे कट्टरपंथी राष्ट्र तथा अनेक अल्पविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति सम्पन्न बनाया जा रहा है तथा महिलाऐं अपनी प्रभावशाली भूमिका में वैश्विक राजनीति में अपनी अहम् उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो रही है। [1]

भारत विश्व का सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको मानव के अध्यात्म जीवन से जोडते है जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका होती है। महिलाओं के बिना सृष्टि की कल्पना भी नही की जा सकती। पुरूष प्रधान समाज यह कभी स्वीकार नहीं कर पाया की महिलाओं को उसका हक मिले, जिसने उसके जीवन में अतुलनीय योगदान दिया है। वैद्धिक काल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग की बालिकाओं व राजकुमारियों को ही दी जाती थी जो अपवाद स्वरूप हैं। बौद काल में भी महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नही हुआ। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, उस समय शिक्षा को ही एक सामाजिक कर्तव्य नही माना गया था महिला शिक्षा तो दूर की बात थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा को अवश्य बढ़ावा मिला, लेकिन नगण्य रही। पुरूष–प्रभुता समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण विकसीत हुआ, उसके अन्तर्गत काम चलाने लायक अल्प शिक्षा व घर–गृहस्थी की देखभाल तक उसकी सीमाएं निर्धारित की गई।[2]

1857 के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के पश्चात भारतीय समाज में जो बदलाव आया है इसके पश्चात महिला शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा। संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के लिये समय–समय पर विभिन्न कानून बनाये हैं। संसद ने महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरूद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किये हैं। कानून

के ढॉचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये गये और शासन व्यवस्था के जिस रूप को अपनाया गया हैं, वह है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता हेतु समान अधिकार प्रदान किये गये। जिसके अन्तर्गत राज्य के नागरिक शासन संचालन का दायित्व अपने मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौपते हैं। अतः मताधिकार की प्रक्रिया जो निर्णय–निर्माण में अहम्, भूमिका अदा करती है, राजनीतिक सहभागिता है। नार्मन एच. नीई तथा सिडनी बर्बा के शब्दों में, ''राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सम्मत गतिविधियॉ है जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।'' किन्तु वर्तमान समय में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के कारण राजनीतिक सहभागिता मात्र मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक ''सत्ता'' में भागीदारिता सें भी जुड गई हैं। ''सत्ता'' में भागीदारी होने का अर्थ है– शक्ति प्राप्त करना। वर्तमान में राजनीतिक सम्बन्धों का अध्ययन 'शक्ति'' सम्बन्धों के तहत ही किया जाता है और वैध शक्ति (सत्ता) ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित, संचालित व प्रभावित करती है। इसलिए राजनीतिक सहभागिता महिलाओं में जागरूकता लाने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, जहॉ से ''शक्ति'' प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों में उपस्थित महिला सहभागिता के मार्ग के बाधक तत्वों को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है। इसी कारण राजनीतिक सहभागिता, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मांग बन गई है। इस हेतु महिला वर्ग, महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाने हेतु सघर्षरत है, जो महिलाओं को राज्य विघानसभाओं व संसद में एक तिहाई सीटे आरक्षित करने का प्रावधान करता है।[3]

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याणकारी नीतियों के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है। 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं से संबंधी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलुओं पर बल दिया गया। पॉचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण की बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में, महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोडा गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गये। सातवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवी पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलाये वंचित न रहें। इस प्रकार विकास की बजाय महिलाओं को अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा कई विशेष नीतियॉ महिलाओं के लिये अपनाई गई। योजनार्गत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढोतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढकर लगभग बीस करोड रूपये हो गया।[4]

भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी इतिहास बहुत पुराना रहा है। 20 वीं सदी में भारतीय संस्था, राष्ट्रीय महिला परिषद तथा अखिल भारतीय महिला संघ जैसी अनेक संस्थाओं का जन्म हआ। 1917 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के एक शिखर मण्डल ने, पुरूषों के साथ बराबरी के आधार पर मताधिकार की मांग, ब्रिटिश संसद के सामने पेश करके स्त्रियों के अधिकार के लिए आवाज उठाई। बाद में मार्गरेट कंजिस ने संवैधानिक सुधारों के लिए बनी मांटेस्क्यू और चेम्सफोर्ड समिति के सामने मताधिकार की मांग रखी तब यह बात प्रान्तीय सरकारों के विवेक पर छोड दी गई। अन्नतः 1921 के सुधार अधिनियम के अधीन महिलाओं को वयस्क मताधिकार और चुनाव लडने का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे पहले मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1926 तक सभी प्रांतों में महिलाओं को सीमित मताधिकार और प्रान्तीय विघानसभा में चुनाव लडने का अधिकार मिल गया। 1925 में भारतीय महिला परिषद की सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1927 में 'आल इण्डिया बूमैंस कांफ्रेस' की स्थापना हुई जिसने सामाजिक सुधारों के साथ राजनीतिक जाग्रति लाने और महिलाओं के सामने अधिकरों के लिए संघर्ष किया और सफलता भी पाई। [5] 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में गांधीजी के नेतृत्व में हजारों' महिलाओं ने समुद्र तटपर नमक कानून का उल्लंघन किया। [6]

1952 से अब तक लोकसभा में महिलाओं की संख्या

सारणी –1

क्र. सं.	वर्ष	कुल सदस्य	म0 की संख्या	महिला प्रतिशत
1	1952	489	22	04.49
2	1957	494	27	05.46
3	1962	494	34	06.88
4	1967	523	31	05.83
5	1971	521	22	04.22
6	1977	544	19	03.49
7	1980	544	28	05.14
8	1984	544	44	08.08
9	1989	529	28	05.29
10	1991	509	36	07.07
11	1996	541	40	07.39
12	1998	545	44	08.07
13	1999	543	48	08.83
14	2004	543	45	08.98
15	2009	543	59	10.86
16	2014	543	61	11.23

स्त्रोत :

आकडे 1952–1999 [7]

आकडे 2004–2014 [8]

स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम श्रीमती इन्द्रा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर सत्तारूढ़ होना, महिलाओं की सबसे बडी उपलब्धि रही है, तब से लेकर आज तक बहुत सी महिलाएं अनेक शीर्ष पदों पर सुशोभित हुई है। केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में राजकुमारी अमृत कौर, लक्ष्मी मैनन सुशीला नायर, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, नजमा हेपतुल्ला, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, उमा भारती, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मैनका गांधी, हरसिमरत कौर, निर्मला सीतारमन आदि नाम प्रमुख है।

राज्यपाल पद सुभोभित करने में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पण्डित, फातिमा बीबी, शारदा मुखर्जी, कुमकुमबेन, रजनी रानी, भीला कौल, रमादेवी, प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवाल, मारग्रेट अल्वावी.एस.रामादेवी, शीला दीक्षित, प्रभा राव, उर्मिला सिंह, मिरदुल्ला सिन्हा, द्रुपदी मुर्मू, नजमा हेपतुल्ला, किरन बेदी आदि प्रमुख है।

राज्यों की मुख्यमंत्री के रूप में सुचेता कृपलानी, नन्दनी सत्पथी, शशीकला काकोडकर, जानकी रामचन्द्रन, जयललिता, सुश्री मायावती, राजेन्द कौर, राबडी देवी, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, वसुन्धरा राजे, ममता बनर्जी, आंनदीबेन पटेल आदि प्रमुख है। इस प्रकार भारत में अनेक महिलाएं है जिन्होने चुनाव लडने में सक्रिय भूमिका निभाई है, यधपि महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में उनकी संख्या बहुत कम है।

राज्य राजनीति में महिला सहभागिता एवं राजनीतिक चेतना

देश में आधी आबादीं/महिलाएं पिछले डेढ दशक से अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है लेकिन पुरूष प्रधान राजनीति संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं होने दे रहा। यह अप्रत्याशित और सुखद है कि सोलहवीं लोकसभा में महिलाए सबसे ज्यादा पहुची है जो अब तक का सर्वाधिक आकंडा है। इस बार कुल 556 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 12, पश्चिम बंगाल से 7 और राजस्थान से 3 गिरिजा बयास, चन्देश कुमारी, ज्योति मिर्धा, महिला सांसद चुनी गई थी।

14 वीं लोकसभा में दिशभर में 355 महिला उम्मीदवार चुनावी रण क्षेत्र में रही। जिनमें से मात्र 45 महिलाएं लोकसभा में पहुच पाई जो 543 सदस्यीय सदन का 10 प्रतिशत भी नहीं है। नई लोकसभा में पिछली की तुलना में 13 महिलाएं ज्यादा पंहुची। जिसमें वे 10 फीसदी की लक्ष्मण रेखा को पार कर गई। पन्द्रह साल पहले महिलाओं को विधान सभा और संसद में 33 फीसदी आरक्षण रेखा का शिगूफा छोडा गया। यह घोर विडंबना है कि महिला आरक्षण का ज्वलन्त मुद्दा पिछले करीब एक दशक में किसी न किसी तरीके से लम्बित होता रहा हैं राजनीतिक दल भी महिला आरक्षण के बारे में राग अलापते रहते है। लगभग सभी राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में महिला आरक्षण पर अमल का वादा किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री रहते एच.डी. देवेगौडा और अटल बिहारी वाजपेयी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। इसे पास करानें की कोशिश भी हुई लेकिन सफलता नहीं मिली। कई सरकारे आई और गई। यह विधेयक 1996 से अब तक कई बार लोकसभा में पेश हो चुका है, लेकिन आम सहमति के अभाव में यह पारित नहीं हो सका। 12 वी लोकसभा में दो बार बिल को राजग शासन काल में प्रस्तुत किया गया। यूपीए सरकार के कार्यकाल में महिला आरक्षण विधेयक आगे नहीं बढा। आम सहमति न होने के कारण महिला विधेयक को एक प्रकार से ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। [9]

13 वी लोकसभा में 47 महिला सांसद ही निर्वाचित हो सकी यह संख्या 13 वीं लोक सभा तक सर्वाधिक रही हैं इससे पूर्व 8 वीं लोक सभा में 44 महिला सांसद निर्वाचित हुई थी इसके अतिरिक्त प्रथम से 13 वी लोकसभा तक निर्वाचित महिलाओं का औसत 5.8 प्रतिशत ही रहा, जबकि राज्यसभा में 9.3 प्रतिशत रहा। राज्य विधानसभाओं में औसत 4.09 प्रतिशत ही रहा है। औसत प्रथम चुनावों से 2014 तक विभिन्न राज्य विधान सभाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता काफी नगण्य रही है। प्रथम चुनावों से 1999 तक बिहार, केरल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान विधानसभाओं में क्रमशः 4.3, 4.0, 3.6, 5.4, 4.1 तथा 5.0 प्रतिशत की सहभागिता महिलाओं की रही।[10]

1952 से 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सीटों के सन्दर्भ में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता निम्न सरणी में दर्शायी जा रही है।

सारणी–2

क्रम संख्या	चुनाव वर्ष	कुल सीटे	पुरूष	महिला	महिला प्रतिशत
1	1952	22	22	0	00
2	1957	22	22	0	00
3	1962	22	21	01	04.54
4	1967	23	22	01	04.34
5	1971	23	21	02	08.69
6	1977	25	25	0	00.00
7	1980	25	24	01	04.00
8	1984	25	23	02	08.00
9	1989	25	24	01	04.00
10	1991	25	21	04	16.00
11	1996	25	21	04	16.00
12	1998	25	22	03	12.00
13	1999	25	21	04	16.00
14	2004	25	23	02	18.00
15	2009	25	22	03	12.00

स्त्रोत – आंकडे 1952–1991 [11]
आंकडे 1996–1998[12]
आंकडे 1999–2014 [13]

राजस्थान विधानसभा में महिला सहभागिता

सारणी : 3

क्रम संख्या	वर्ष	कुल सीटे	निर्वाचित महिला विधायक	महिलाए (प्रतिशत)
1	1952	160	2	1.25
2	1957	176	9	5.11
3	1962	176	8	4.55
4	1967	184	6	3.26
5	1972	184	13	7.07
6	1977	200	8	4.00
7	1980	200	10	5.00
8	1985	200	17	7.50
9	1990	200	11	5.50
10	1994	200	9	4.50
11	1999	200	15	6.00
12	2003	200	13	6.05
13	2008	200	29	14.50
14	2013	200	25	12.50

स्त्रोत– आंकडे 1952 से 1990 [14]
आंकडे 1994 से 2013 [15]

राजस्थान विधानसभा के सन्दर्भ में महिलाओं की सहभागिता एवं राजनीतिक चेतना को देखा जाये तो 1952 से 2013 में गठित चोदह विधानसभा तक प्रदेश की कुल 177 सीटों पर महिलाओं ने विजय प्राप्त की जो कुल सदस्य संख्या का 8.85 प्रतिशत है। प्रथम विधान सभा में मात्र 4 महिलाओं द्वारा ही चुनाव लडा गया, जिन्हे अपनी जमानत राशि भी वापस न मिल सकी और प्रथम विधानसभा में उपचुनाव में 2 महिलाऍ चुनाव जीत सकी इस प्रकार सबसे कम 2 सदस्यीय प्रथम विधानसभा में तथा सबसे अधिक 13वी विधानसभा(2008) में 29 महिलाओं ने विजय प्राप्त कर महिला सहभागिता एवं राजनीतिक चेतना को दर्शाया है।

राजस्थान में हुए प्रथम विधानसभा चुनावों 1952 से लेकर 2013 तक हुए चोदह विधानसभा चुनावों के अवलोकन से स्पष्ट है कि छः दशकों में चोदह विधानसभा चुनावों में कुल 821 महिलाओं ने चुनाव लडा जिसमें 177 महिलाएं विजयी हुई। विधानसभा की कुल सीटों (200) की तुलना में महिला प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही होने के बावजूद भी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय महिलाओं ने राजनीतिक कार्यों में जिस क्षमता ओर सूझबुझ का परिचय दिया है उससे पुरानी धारणाये शनैःशनैः खण्डित हो रही है। महिला सामर्थ्य की प्रति राज्य में महिलाएं राजनीति सहित क्रियाशील जीवन के सभी क्षेत्रो में पुरूषों के साथ हर संभव रूप से सहभागी होकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। विधानसभा में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के बावजूद प्रदेश की जिन महिलाओं ने राजनीति सहित विभिन्न दायित्व को स्वीकार कर तथा उनका सफलतापूर्वक निर्वहन करके यह सिद्ध कर दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से पीछे नहीं है।

अतः स्पष्ट है कि महिलाओं को राजनीतिक जीवन का पूर्णत ज्ञान और अनुभव तब ही होगा, जब उन्हे अवसर दिया जायेगा क्योंकि अवसर मिलने पर महिलाओं ने अपनी दक्षता का परिचय दिया है। लेकिन भारतीय समाज ने ही महिलाओं के हितों को अनदेखा किया है। जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक 1996 से लम्बित पडा संशोधन विधेयक इसी का परिचय है। पुरूष सांसदों और राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को इससे अनेक भय व आशंकाएं है लेकिन इस विधेयक से लोकसभा व विधान सभाओं में महिलाओं की राजनीतिक चेतना निश्चित रूप से बढेगी। संवैधानिक रूप से महिलाओं की सहभागिता बढेगी तथा उनमें राजनीतिक जाग्रति होगी।

सन्दर्भ

1. चतुर्वेदी, इनाक्षी एवं अग्रवाल, सीमा,'महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता', अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर 2013 प्र015
2. राजस्थान पत्रिका, मार्च,8,2016
3. योजना, अप्रेल 2002,
4. जोशी, आर.पी. एंव मंगलानी, रूपा (संपा.), पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.80
5. पंवार, मीनाक्षी, 'नारी उत्पीडन और कानून', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1990,पृ188
6. लोकतन्त्र समीक्षा, चुनाव में महिलाओं की सहभागिता, संयुक्त अंक, जनवरी–दिसम्बर 2004
7. www.Wikipedia.org/wiki/list of female indiangoverments.
8. www. Rajassembly.nic.in/ loksabha.htm
9. नायक, अशोक एवं द्विवेदी, हर्षित,'पंचायत राज में ग्रामीण नेतृत्व, महिलाएं एवं राजनीतिक सहभागिता, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 213, पृ133
10. प्रकृति, वीमैनफीचर सर्विस, बुलेटिन, अंक 44, 15 जनवरी 2001, पृ2
11. सुशिला, पाटनी, वीमैन पॉलिटिकल एलीट सर्च फॉर आइडेन्टिडी, जयपुर प्रिन्टवैल 1994
12. रंजन, राजीव, चुनाव लोकसभा और राजनीति ज्ञान गंगा, दिल्ली 2000, पृ 350
13. www.rajassembly.nic.in/loksabha.htm
14. पाटनी, सुशिला, वीमैन पॉलिटिकल एलीट सर्च आइडेन्टिटी, जयपुर, प्रिन्टवैल, 1994, पृ101
15. http//: www.rajassembly.nic.in